न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 244 / 2024

अनवान : –

1. यान्सु पुत्र मनीष कुमार उम्र 3 वर्ष जरिये नाबालिग संरक्षिका माता प्रमिला पत्नी मनीष कुमार जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. इन्द्राज पुत्र भजनाराम जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।
2. मनीष कुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।
3. प्रहलाद सिंह पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।
4. केला देवी पुत्री इन्द्राज जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**
श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय

दिनांकः 22/12/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के खाता स0 6 / 6 की कुल 3.6170 हैक्ट भूमि में से 1265 / 3617 हिस्सा भूमि व रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के खाता स0 5 / 5 की कुल 29.5890 हैक्ट भूमि में 1373 / 39452 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि पैतृक भूमि है। उपरोक्त कृषि भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खान दान दर्ज है एवं गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें सायलान का जन्म से हक हिस्सा है है यानि बाई बर्थ राईट है। इसलिए सायल अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वाद भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौरकर्ता हिन्दु परिवार गलत दर्ज होने से सायलान को उसके हक व हिस्सा से महरूम करना चाहते है तथा गैरसायल उक्त वाद भूमि को रहन, बैय करना चाहते है जिससे सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर [illegible] रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के खाता स0 6 / 6 की कुल 3.6170 हैक्ट [illegible] 3617 हिस्सा भूमि व रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के खाता स0 5 / 5 की कुल [illegible]5890 हैक्ट भूमि में [illegible] 39452 हिस्सा भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स0 [illegible] इस आशय की जारी [illegible]ई की अप्रार्थी स0 1 उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:51:40 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की रोही मौजा नहराना के ख0न0 48 की भूमि गैरसायल स0 1 की स्वयं की खरीदशुदा भूमि है जिसमें गैरसायल स0 1 के जीवनकाल में कोई हक हिस्सा नही है प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने लिए पेश किया है अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैः–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि रोही मोजा नहराना के खताा स0 5/5 की वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है एवं पूर्व में अप्रार्थी स0 1 के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है वर्तमान में सायल के पिता यानि की अप्रार्थी संख्या 1 नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जबकि रोही मौजा नहरारा के खाता स0 6/6 की भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है परन्तु पूर्व में अप्रार्थी स0 1 के पूर्वजो के नाम दर्ज रही है इस बाबत अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है अत रोही मौजा नहराना के खाता स0 5/5 की भूमि बाबत अप्रार्थी स0 1 को पाबन्द किया जाना न्यायोचित है हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होता है।

2. सुविधा का सन्तुलन– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 विवादित अराजी का काश्तकार है परन्तु रोही मोजा नहराना के खताा स0 5/5 पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का भी वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है।। प्रार्थीगण का अप्रार्थी0 1 के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि रोही मोजा नहराना के खताा स0 5/5 की अराजी को बैय की जाती है तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थी का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है जबकि रोही मोजा नहराना के खताा स0 6/6 की भूमि को रहन, बैय किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई असुविधा न ही होगी क्योंकि उक्त भूमि पूर्व में रामू वल्द कुशला के नाम दर्ज है एवं प्रार्थी द्वारा दर्शाये [illegible] खानदान के मुताबिक रामू का प्रार्थीया से कोई संबंध नही है। अतः सुविधा [illegible] पक्ष में आंशिक साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:51:40 IST
Reason: SelfAttested

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति [illegible] क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा [illegible] प्रार्थी एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को आंशिक होगी।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट आंशिक स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के खाता स0 5/5 की कुल 29.5890 हैक्ट भूमि में 1373/39452 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज भूमि में प्रार्थी के हक व हिस्से की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे तथा रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के खाता स0 6/6 की कुल 3.6170 हैक्ट भूमि में से 1265/3617 हिस्सा भूमि में अप्रार्थी स0 1 के विरूद्ध दिनांक 01.10.2024 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 22/12/25 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:51:40 IST
Reason: SelfAttested